

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22 जून, 2015

आय-कर

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये 1 अप्रैल 2015 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(1) नियम 12 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(I) खंड (क) के परंतुक के खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(III) पांच हजार रुपए से अधिक कृषि आय ;" ;

(II) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(खक) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो व्यष्टि है, जो ऐसा व्यष्टि नहीं है जिस पर खंड (क) लागू होता है या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, जहां कुल आय में "कारबार या वृत्ति के लाभ और

अभिलाभ" और "पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य कोई आय सम्मिलित नहीं है और खंड (क) के परंतुक का खंड (1) एवं खंड (II) लागू नहीं होता है, प्ररूप सं. आ.क.वि. 2क में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ;

(III) खंड (गक) के परंतुक के खंड (III) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(III) पांच हजार रुपए से अधिक कृषि आय ;";

(ख) उपनियम (4) में, "उपनियम (3) के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv) में विनिर्दिष्ट रीति में" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "उपनियम (3) की सारणी के स्तंभ (iv) में विनिर्दिष्ट रीति में (कागज प्ररूप से भिन्न)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(2) उपबंध 2 में, "प्ररूप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2 और सुगम (आ.क.वि.-4सु) के स्थान पर, "प्ररूप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-2क और सुगम (आ.क.वि.-4सु) रखे जाएंगे, अर्थात्:-

[अधिसूचना सं. 49/2015/फा.सं.142/1/2015-टीपीएल]

(गौरव कनौजिया)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ.1014(अ) तारीख 15.04.2015 द्वारा किया गया ।